राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 15131/2016

राजेश चौधरी पुत्र श्री हनुमान राम, निवासी के-61, वीर दुर्गादास कॉलोनी, बेलदेव नगर, अखलिया चौराहा, जोधपुर राज।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य अपने प्रधान सचिव द्वारा,

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग, सचिवालय, जयपुर

2. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन।, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ,

स्वास्थ्य भवन, जयपुर

3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, एन. एच. 8 बाईपास रोड, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, दूरदर्शन केंद्र के पास, जयपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (गण) के लिए	:श्री यशपाल खिलेरी
उत्तरदाता(गण) के लिए	सुश्री वंदना भंसाली
	श्री गौरव रांका

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u> (मौखिक)

<u>18/01/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदाताओं को सार्वजनिक रोजगार में रोस्टर प्रणाली को ठीक से लागू करने और योग्यता के आधार पर चयन

सूची में ओबीसी/ओपन श्रेणी की सीटों में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को शामिल करने का आदेश देने के लिए एक उचित रिट/निर्देश जारी करना है।

2. मामले के स्पष्ट तथ्य इस प्रकार हैं:याचिकाकर्ता विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (टी) के तहत परिभाषित 'दोनों पैरों में विकलांग व्यक्ति' (बी. एल.) है।

2.1. याचिकाकर्ता राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के साथ एक पंजीकृत फार्मासिस्ट है और ओ. बी. सी. और पी. एच. श्रेणी से संबंधित है, जिसके पास 1965 के नियमों के अनुसार फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक तकनीकी और शैक्षिक योग्यताएं हैं।भर्ती एजेंसी ने 28.01.2016 दिनांकित एक विज्ञापन जारी किया।दिनांक 28.01.2016 (अनुलग्नक-3) के विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित फार्मासिस्टों के कुल पद 512 प्लस 79 थे, जो कुल 591 थे, जिनमें से 19 पद नियमानुसार पीएच श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।

2.2. उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता ने हर तरह से पात्र होने के कारण फार्मासिस्ट के पद के लिए भी आवेदन किया और ओ. बी. सी. और शारीरिक रूप से विकलांग (पी. एच.) श्रेणी के तहत अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किया। प्रतिवादी-संस्थान ने 17.06.2016 पर लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया और एक योग्यता सूची जारी की।

2.3. याचिकाकर्ता ने 95.346% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण/सफल घोषित किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 30.06.2016 को काउंसलिंग/दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया गया।प्रतिवादी संस्थान ने दिनांक 14.11.2016 के संचार के माध्यम से फार्मासिस्टों की अनंतिम योग्यता सूची अपलोड की।हालाँकि, याचिकाकर्ता के 95.346% अंक प्राप्त करने के बावजूद, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को अनंतिम योग्यता सूची में या तो पीएच श्रेणी में या ओबीसी (एम) श्रेणी में शामिल नहीं किया, जिसका कारण वे ही जानते हैं।

2.4. दिनांकित 14.11.2016 की अनंतिम योग्यता सूची से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 18.11.2016 पर प्रतिवादी विभाग से संपर्क किया और योग्यता के आधार पर शामिल करने का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

2.5. उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए अंतिम परिणाम/चयनित उम्मीदवारों की सूची अनुलग्नक-9 के अवलोकन से पता चलता है कि, निश्चित रूप से, एक श्री नरेंद्र

कुमार, रोल नंबर 21541546558 ओबीसी (पीएच) श्रेणी से संबंधित (प्राप्त अंक-89.313%) को ओबीसी (पीएच) श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चुना गया था।

2.6. प्रतिवादी संस्थान ने विभिन्न श्रेणियों के लिए अंतिम कटऑफ अंक भी जारी किए। चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची अनुलग्नक-9 से पता चलता है कि संस्थान ने शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए अंतिम कटऑफ घोषित नहीं की थी, और फार्मासिस्ट सीएचसी और डीएच के 79 पदों के लिए ओ. बी. सी. (एम) श्रेणी के लिए घोषित अंतिम कटऑफ 99.209% है।

2.7. फार्मासिस्ट आर.बी.एस.के. के 512 पदों के लिए घोषित ओबीसी (एम) श्रेणी के लिए अंतिम कटऑफ 92.557% निर्दिष्ट हैयाचिकाकर्ता द्वारा 95.346% अंक प्राप्त करने के बावजूद, जैसा कि पत्र अनुलग्नक-5 से स्पष्ट है, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को अंतिम योग्यता/चयन सूची में या तो पी. एच. श्रेणी में या ओ. बी. सी. (एम) श्रेणी में बिना कोई कारण बताए शामिल नहीं किया।

2.8. इस प्रकार प्रतिवादी ने ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए घोषित अंतिम कटऑफ अंकों से अधिक अंक होने के बावजूद ओ. बी. सी. या ओ. बी. सी. (पी. एच.) श्रेणी में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है।प्रतिवादी ने अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और आरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार चयन सूची तैयार नहीं की है; क्योंकि उन्होंने ओ. बी. सी. (पी. एच.) श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को ओ. बी. सी. (सामान्य) श्रेणी में शामिल नहीं किया है।

2.9. इसलिए तत्काल याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी विवादों को सुना है।

4. याचिका के पैराग्राफ 13,14 और 15 में याचिकाकर्ता द्वारा एक साफ़ और स्पष्ट रुख अपनाया गया है, जिसे तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> ‘13. यह कि दिनांकित 14.11.2016 की अस्थायी योग्यता सूची से व्यथित होने के कारण, विनम्र याचिकाकर्ता ने 18.11.2016 पर प्रतिवादी विभाग से संपर्क किया और उनसे उनकी योग्यता के क्रम में उन्हें शामिल आदेश का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन याचिकाकर्ता को कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।दिनांकित 18.11.2016 अभ्यावेदन की एक सटीक और सही प्रति इसके साथ प्रस्तुत की गई है और इसे अनुलग्नक-8 के रूप में चिह्नित किया गया है।

14. कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया और अंतिम परिणाम जारी किया।अपनी वेबसाइट पर चयनित उम्मीदवारों की सूची (योग्यता के क्रम में) और अंतिम परिणाम को देखते हुए, याचिकाकर्ता को पता चला कि पीएच श्रेणी के साथ-साथ ओ. बी. सी. (एम) श्रेणी के उम्मीदवार में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक होने के बावजूद उनका नाम चयनित उम्मीदवारों में नहीं था।पूछने पर, प्रतिवादी ने मौखिक रूप से याचिकाकर्ता से कहा कि दोनों पैरों में अक्षमता के कारण, उन्हें पी. एच. श्रेणी में नहीं चुना जा सकता है। अंतिम योग्यता सूची के उद्धरण के साथ दिनांकित 08.12.2016 संचार की सटीक और सही प्रति सामूहिक रूप से इसके साथ संलग्न की गई है और अनुलग्नक-9 के रूप में चिह्नित की गई है।

15. यह कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों और ऐसी सभी नौकरियों/पदों के लिए शारीरिक आवश्यकता की पहचान की है। प्रतिवादी राज्य ने 1995 के अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची को पूर्ण रूप से अपनाया है अर्थात विकलांग व्यक्तियों द्वारा रखे जाने के लिए पहचाने गए पदों को 1995 के अधिनियम के साथ जोड़ा गया है। **फार्मासिस्ट का पद अनुसूची में समूह-सी के तहत आता है और यह विकलांग व्यक्तियों यानी ओ. ए., ओ. एल., बी. एल. और एच. एच. की श्रेणियों के लिए उपयुक्त है।** इसलिए प्रतिवादी याचिकाकर्ता को बी. एल. (दोनों पैर) की अक्षमता के आधार पर प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। समूह-सी पदों की सूची की एक सटीक और सही प्रति इसके साथ प्रस्तुत की गई है और इसे अनुलग्नक-10 के रूप में चिह्नित किया गया है। तदनुसार, प्रतिवादी चिकित्सा विभाग, भारत संघ के साथ-साथ एम्स के तहत फार्मासिस्ट के पद के लिए भर्ती में, दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र पाए गए। इस संबंध में जारी किए गए विज्ञापन सामूहिक रूप से इस माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और अनुलग्नक-11 के रूप में चिह्नित किए जाते हैं।

5. याचिका में दायर संबंधित विवरणी में, उपरोक्त के साथ-साथ परिपत्र की प्रयोज्यता या उपर्युक्त परिसंचरण के हिस्से के रूप में अनुलग्नक -10 को शामिल करने पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है।

6. याचिकाकर्ता की अक्षमता के संबंध में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार दोनों निचले अंगों में 45 प्रतिशत अक्षमता से पीड़ित है। (अनुलग्नक-2)

7. याचिका का एकमात्र विरोध प्रतिवादी की इस समझ से उत्पन्न होता है कि विज्ञापन में आरक्षण दोनों पैरों के लिए नहीं है, और केवल अगर याचिकाकर्ता के एक पैर में बाधा होती, तो वह उसका लाभ लेने का हकदार होता।

8. प्रथम दृष्टया, उपरोक्त तर्क बेतुका है। यह इस आधार पर कहा गया है कि चूंकि विज्ञापन में केवल एक पैर की विकलांगता का प्रावधान है, इसलिए दोनों पैरों की विकलांगता याचिकाकर्ता को अयोग्य बनाती है। साथ ही, ऐसा स्टैंड उपरोक्त अधिसूचना के विपरीत है, जिसका परिशिष्ट एक अभिन्न अंग बताया गया है।

9. परिणामस्वरूप, रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि, उपरोक्त अधिसूचना की प्रयोज्यता के सत्यापन के अधीन, याचिकाकर्ता को उसका उचित लाभ दिया जाएगा।

10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि उक्त अधिसूचना विचाराधीन विज्ञापन के संबंध में लागू होती है, तो याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सहित सभी काल्पनिक लाभ दिए जाएंगे, जो उसी तारीख से प्रभावी होंगे जब उनके समकक्षों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, बशर्ते कि वह योग्य और चयन प्रक्रिया में सफल रहे। हालाँकि, सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए वह 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 21.12.2016 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन, याचिकाकर्ता ने जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया है, उसमें एक पद खाली रखने का निर्देश दिया गया था।

11. तदनुसार, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को उक्त रिक्त पद पर नियुक्त करके लाभ देगा, बशर्ते कि वह अन्यथा योग्य और मेधावी पाया जाए जैसा कि ऊपर बताया गया है।

12. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब-प्रिंट के साथ प्रतिवादी से संपर्क करने के 30 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।